जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 12.03.2023

आज दिनांक 12.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बेलहरकला **श्री अमित कुशवाहा** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 247/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 अहमद पुत्र अकबर अली उर्फ छोटक निवासी पसाई थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.11.2022 को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बेलहरकला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 12.03.2023 को अपहृता को बरामद करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष बेलहरकला उ0नि0 श्री अमित कुशवाहा, उ0नि0 श्री अवधेश कुमार सिंह, का0 अमरजीत यादव, का0 आलोक प्रजापति, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, हे0का0 दुर्गेश यादव, का0 शुभम सिंह, म0आ0 प्रिया शास्त्री।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 02

नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत हैः-

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र हरीराम निवासी मैनसिर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0श्री परमेश मिश्रा, का0 विजय कुशवाहा।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता हरिकिशुन पुत्र महंगू चौधरी निवासी सांगठ थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र यादव, का0 मोहन कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत लोहरैया से इवेन्ट संख्या 12061 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों 1- सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहन कुमार 2- दीपक कुमार पुत्र रामबचन निवासी खाजो थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 08 मिनट में पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल पहुँचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 शेषनाथ गौड़, आ0 बृजेश यादव, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 67 वाहनो से 59,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 67 वाहनों से 59,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।